

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—9

देहरादून: दिनांक 30 जून, 2025

विषय:— उत्तराखण्ड राज्य में ई—प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु सामग्री, निर्माण कार्य तथा परामर्शी सेवाओं के लिये मानक निविदा प्रपत्र (**Standard Bidding Document**) को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विभागों में लागू ई—प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप समस्त विभागों हेतु सामग्री (goods)-रु 10.00 लाख से अधिक के क्रय हेतु, निर्माण कार्य (works) तथा परामर्शी सेवाओं (consultancy services) के लिये विश्व बैंक सहायतित परियोजना 'यूकेपीएफएमएस' के अन्तर्गत तैयार किये गये 'Standard Bidding Documents' को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त के क्रम में 'Standard Bidding Documents' की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न 'Standard Bidding Documents' को अपने नियंत्रणाधीन समस्त खण्डों/अधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए भविष्य में ई—प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत सामग्री, निर्माण कार्य तथा परामर्शी सेवाओं हेतु निविदा की समस्त प्रक्रियाओं के सम्पादन में उक्त SBD में उल्लिखित प्रावधानानुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3— उक्तानुसार लागू किये जा रहे 'Standard Bidding Document' में भविष्यगत आवश्यकता के दृष्टिगत संशोधन वित्त विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

4- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय
Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 30/06/2025
16:25:09
सचिव।

संख्या- 310161 (1)/2025/XXVII(9)/अधिप्राप्ति-01/2024 तददिनांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, डॉ० आर.एस.टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, यूकेपीएफएमएस, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त मानक निविदा प्रपत्रों को आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर अपलोड किए जाने का कष्ट करें।
10. निदेशक, पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, आई०टी०डी०ए०, आई०टी० पार्क, देहरादून।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
16. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त Standard Bidding Document for Procurement of consultancy, services, goods एवं works की 100 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग-9, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 30/06/2025
16:37:49
अवर सचिव।